राज्य सरकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि बलात्कार के दोषियों को जमानत भी न मिल सके -जगदीश शेट्टार, मुख्यमंत्री, कर्नाटक

हिन्दुस्तान
मुजफ्फरनगर • गुरुवार • 17 जनवरी 2013 •

क्लासीफाइड

दोषियों में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय और दो आईएएस व शिक्षा विभाग के अफसर शामिल

शिक्षक भर्ती घोटाले में 55 दोषी करार

नई दिल्ली/चंडीगढ़ | हिन्दुस्तान टीम

हरियाणा के बहुचर्चित जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) भर्ती घोटाले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला और 53 अन्य को दोषी करार दिया।

इनमें दो आईएएस और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों सहित 16 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश पर सभी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

रोहिणी स्थित स्पेशल सीबीआई जज विनोद कुमार की कोर्ट ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में इनेलो प्रमुख को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चौटाला और निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को खासतौर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।

सजा पर अंतिम बहस 17, 19 और 21 जनवरी को होगी और 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा विभाग के शेर सिंह, दिलबाग सिंह, राम सिंह और जोगेन्द्र लाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि ये सूची जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। इस मामले में 62 आरोपियों के नाम थे, लेकिन छह की मौत मामले की सुनवाई के दौरान हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने आरोप तय करने के समय ही बरी कर दिया था। दोषियों में अधिकतर शिक्षा अधिकारी और प्रिंसपल शामिल हैं। घोटाले में 16 जुलाई, 2010 को आरोपतय किए गए थे, तब से इसकी नियमित सुनवाई चल रही थी।

मीडिया, परिजन कोर्ट रूम के बाहर : कार्यवाही कड़ी सुरक्षा के बीच हुई और कोर्ट ने आरोपियों, उनके वकीलों, सरकारी वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों के अलावा किसी को कोर्ट रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। आरोपियों के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों व मीडियाकर्मियों को कोर्ट रूम के बाहर लगे अवरोधकों के पीछे खड़े होने को कहा गया।

नई दिल्ली में बुधवार को साकेत कोर्ट से बाहर आते ओमप्रकाश चौटाला। • हिन्दुस्तान

इन मामलों के दोषी

सभी आरोपी धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेजों को सही बताकर इस्तेमाल करने) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1)(डी) के तहत दोषी पाए गए।

आरोपी और पद

तीन विधायक : ओपी चौटाला, अजय चौटाला व शमशेर सिंह बड़शामी
दो आईएएस : संजीव कुमार और विद्याधर
गवाह : सीबीआई के 68 गवाहों में तीन आईएएस अफसर
बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए

कब क्या हुआ?

- सुबह 11बजे : पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला एवं अन्य आरोपी कोर्ट में पेश
- सुबह 11.45 : कोर्ट ने सभी 55 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए हिरासत लेकर जेल भेजने को कहा
- दोपहर 12बजे : कोर्ट के बाहर चौटाला के सैकड़ों समर्थकों ने विरोध जताया
- दोपहर 4 बजे : कोर्ट लॉकअप से जेल की वैन में चौटाला पिता-पुत्र सहित सभी मुजरिमों को ले जाया गया जेल

क्या है मामला

हरियाणा सरकार ने 1998 में 3,206 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आरोप है कि 1999-2000 के बीच गैरकानूनी तरीके से भर्ती की गई। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर, 2003 को सीबीआई को जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने 6 जून, 2008 को इनेलो नेताओं सहित अन्य को इस घोटाले में आरोपी बनाया। एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा कि चौटाला के निर्देश पर हरियाणा भवन (दिल्ली) और चंडीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में 18 जिलों की जिला स्तरीय चयन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को बुलाकर दूसरी मेरिट सूची तैयार की गई। पिता-पुत्र ने भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। भर्ती के लिए हर व्यक्ति से तीन से चार लाख रुपये लिए गए। हालांकि सीबीआई ने कुमार को भी आरोपी बनाया, क्योंकि सूची में उनके भी हस्ताक्षर थे।

तिहाड़ में हरियाणा के चार विधायक

नई दिल्ली | जितेंद्र भारद्वाज

नई दिल्ली। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और एक विधायक तिहाड़ जेल में हैं। इससे पहले राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। हालांकि 70 के दशक में राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व मुख्यमंत्री को हथकड़ी लगाई गई थी। हरियाणा में राजनेताओं पर सत्ता के दुरुपयोग या आपराधिक मामलों में सहभागिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जेल जाने की नौबत कम मामलों में देखे गए। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा विधानसभा में विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला, उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला और विधायक शेरसिंह बड़शामी तिहाड़ जेल में हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गोपाल कांडा पहले से ही तिहाड़ में हैं। खास बात है कि कांडा किसी जमाने में चौटाला परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। पूर्व उपप्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हथकड़ी लगाकर भिवानी शहर में घुमाया गया था। 1990 से पहले महम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हिंसा में ओमप्रकाश चौटाला का नाम आया था। हालांकि सीधे तौर पर चौटाला परिवार के खिलाफ हत्या का मामला तो नहीं बना, लेकिन चुनावी हिंसा को विपक्षी दलों ने लंबे समय तक भुनाया था।

हिन्दुस्तान क्लासीफाइड
में
विज्ञापन
के लिए
सम्पर्क करें
011-66561245
011-66561161
011-66561389
011-60004242

हिरासत में भी चौटाला का रुआब बरकरार

नई दिल्ली | हेमलता कौशिक

जेबीटी भर्ती घोटाले के मुख्य दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो मुखिया ओम प्रकाश चौटाला बुधवार सुबह सफेद कुर्ता-धोती और हरी पगड़ी पहनकर कोर्ट पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी थे। मुजरिम ठहराने के बाद भी चौटाला के चेहरे पर शिकन नजर नहीं थी। हिरासत में लेने के बाद भी उनका रौब एक वीआईपी की तरह ही था।

हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता एवं आरोपियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग की गई थी, जहां सीबीआई अधिकारी निगरानी कर रहे थे। कोर्ट रूम के बाहर एक निर्देशपत्र लगा था, जिसमें साफ लिखा था कि सुनवाई के दौरान आरोपी, बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष के वकील ही उपस्थित रह सकते हैं।

जांच पर टिप्पणी : कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने भले ही लापरवाही की या जांच में कमियां रही हों, लेकिन घोटाले के तीन साल बाद जब अधिकारियों को सीमित संसाधनों के बीच जांच करनी पड़ी। साथ ही, राजनैतिक मामला होने के कारण जांच एजेंसी पर दबाव भी था, फिर भी जांच निष्पक्ष पाई गई।

सोनिया के खिलाफ की नारेबाजी

हरियाणा से सैकड़ों की तादाद में कोर्ट पहुंचे चौटाला समर्थकों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब मुजरिमों को तिहाड़ जेल ले जाने के लिए बाहर निकाला गया। समर्थक सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। समर्थकों ने कांग्रेस, सोनिया गांधी और सीबीआई के खिलाफ देर शाम तक जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं समर्थक अपनी गाड़ियों से जेल वैन के साथ तिहाड़ जेल तक भी पहुंचे।

किसने क्या कहा

कानून अपना काम कर रहा है। कानून उल्लंघन का परिणाम इसी प्रकार सामने आता है।
-भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरियाणा

मामला भ्रष्टाचार से संबंधित नही है। इसमें पैसे का लेन-देन नहीं हुआ। हमने मैरिट के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की थी। हम फैसले का अध्ययन करेंगे और उच्च कोर्ट में जाएंगे। -अभय चौटाला

चौटालाओं की भ्रष्ट करतूतें अब पकड़ में आ रही हैं। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी भ्रष्ट करतूतों के लिए जेल जाना पड़ेगा। सवाल केवल यही है कि कब? मैं फैसले के लिए कोर्ट को सलाम करता हूं। मैं समझता हूं कि यह फैसला मील का पत्थर है।
-कुलदीप बिश्नोई, सांसद, हजकां

बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। फैसला सुनाने में कई वर्ष लगे। कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस मामले को राजनीतिक तौर पर देखने की जरूरत नहीं है।
-रामबिलास शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

छोटे बेटे अभय ने दी सफाई

चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला ने इनकार किया कि उनके पिता और भाई ने अध्यापकों की भर्ती में कोई भी गैरकानूनी काम किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार संबंधी कुछ नहीं था। संजीव कुमार पर दोष मढ़ते हुए अभय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा विभाग की कमान संभालने के दौरान वह कई घोटालों में शामिल थे, जिसके चलते सरकार ने उन्हें निलंबित किया था। खुद को बचाने के लिए कुमार सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि उन पर ओम प्रकाश चौटाला ने दबाव डाला।

दलहन को मौसम और तकनीक ने किया गर्क

पूसा | अतुल कुमार सिंह

मौसम में परिवर्तन और बरसात के समय में फेरबदल का असर न केवल खरीफ और रबी फसलों पर पड़ रहा है बलिक इसका असर दलहन जैसी फसलों पर ड्डी देखने को मिल रहा है।

दलहन की फसलों के लिए इस साल का यह मौसम कुछ ठीक रहा है। अरहर की फसलों पर कम बारिश के कारण नकारात्मक प्रभाव कम पड़ा। फिर भी उसके फूलने के समय यानि, जनवरी महीने में सामान्य से अधिक ठंड के कारण फूल लगने में व्यवधान पैदा हुआ है। वैसे ऊपर के चित्र में अरहर की खेती लहलहा रही है। हालांकि यह फोटो नवंबर की है, जो पूसा के केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में ली गई है। अगर इतनी अच्छी फसल में अंत में आकर फूल ही न लगें तो फसल की कामयाबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दलहन के लिए शुरुआत के दिनों में वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीच में कुछ पानी की जरूरत होती है। गत खरीफ के मौसम में बारिश कम होने से दलहन के लिए यह अनुकूल माहौल रहा। हालांकि इसने उत्तर बिहार के सबसे प्रमुख फसल धान को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में जनवरी में आकर इसपर भी मौसम की मार पड़ गयी। यहां बताना जरूरी है कि दलहन में अरहर ऐसी फसल है जो लगड्डाग दस महीनों में तैयार होती है। कम अवधि के अरहर बिहार में बहुत ही कम होते हैं।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली में दलहन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. देवेन्द्र सिंह का कहना है कि अत्यधिक ठंड का प्रभाव चना पर सबसे अधिक पड़ा है। चना के सोन कमांड एरिया, जिसमें कैमूर, सासाराम, रोहतास और बक्सर जिले हैं, में कंबाइंड हार्वेस्टिंग से यह फसल सर्वाधिक प्रभावित हुई है। इसमें पहले धान केखेत में चने बोए जाते थे। लेकिन अब इस नई खेती में पुआल को खेत में फूंक दिया जाता है। इससे चना नहीं हो पाता। इसी तरह ताल क्षेत्र यानि, मोकामा से बरहिया तक में 30,000 हेक्टेयर का चना क्षेत्र फली छेदक कीड़ों से नष्ट हो रहा है। असल में मौसम परिवर्तन से वे पक्षी खत्म हो गए हैं जो चने के कीड़ों को खाते थे। इससे कीड़े चना को खा रहे हैं। इसका असर मसूर पर भी पड़ रहा है।

जवाबी गोलाबारी में मारे जाते हैं पाकिस्तानी : बिक्रम सिंह

मथुरा | हिन्दुस्तान संवाद

सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने शहीद हेमराज को शेर बताया। उन्होंने बुधवार को परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हेमराज का सिर लाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने को सेना पूरी तरह तैयार है।

शहीद का सिर लाने की परिजनों की मांग पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि हम सिर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनरल सिंह ने पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग की बात को यह कहते हुए नकार दिया कि भारतीय सेना तो केवल जवाबी फायरिंग करती है। गांव शेरनगर में शहीद हेमराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जनरल सिंह ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किया। शहीद की पत्नी और मां को सेना प्रमुख ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि हेमराज हमारे परिवार का सदस्य था। सेना हर तरह से शहीद के परिवार के साथ है। शहीद के बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाई का भरोसा दिलाते हुए शहीद के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली।

पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया और न ही उन्होंने बिना उकसावे के गोलीबारी की। दूसरे पक्ष में यदि कोई हताहत हुआ है तो वह जवाबी गोलाबारी की वजह से हुआ होगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर जो हो रहा है उसके बाद दोनों देशों के बीच के रिश्तों को देखना होगा।

जनरल बिक्रम सिंह ने पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के उस बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को उकसाने वाला बताया था। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अभी हिना का यह बयान नहीं पढ़ा है।

गांव शेरनगर में शहीद हेमराज की पत्नी को सांत्वना देते सेना प्रमुख बिक्रम सिंह। साथ हैं उनकी पत्नी व अन्य सेना के अधिकारी। • हिन्दुस्तान

शहीद सुधाकर के परिजनों से कल मिलेंगे सेना प्रमुख

सीधी। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के सीधी में गत दिनों नियंत्रण रेखा पर शहीद हुए लांस नायक सुधाकर सिंह के परिजन से मिलेंगे। रक्षा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह भी 18 जनवरी को यहां आएंगे। एसपी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उनके आगमन के सिलसिले में सेना की विशेष टीम यहां पहुंच गई है। जनरल सिंह रीवा तक सेना के विमान से आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधी पहुंचेंगे। वे सीधी से करीब 35 किलोमीटर दूर जिले के डढ़िया ग्राम में जाकर शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह के परिजनों से मिलेंगे।